"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2008—चैत्र 29, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-01-03/2008/एक/2.—श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से., (1978) कृषि उत्पादन आयुक्त, पदेन प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग तथा प्रमुख सचिव, वन एवं सहकारिता विभाग को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुये कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, वन विभाग के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. श्री सरजियस मिंज द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम 9 (1)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

के तहत कृषि उत्पादन आयुक्त के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 01 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-7/49/2004/1/2.—श्री सुबोध कुमार सिंह, भा. प्र. से., कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 15-04-2008 से 21-04-2008 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12, 13 एवं 14 अप्रैल, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सिंह के उक्त अवकाश अवधि में कलेक्टर, बिलासपुर का चालू कार्य श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 03 अप्रैल 2008

क्रमांक 1465/594/2008/1/2.—श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 26-03-2008 से 09-04-2008 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गर्ग आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गर्ग अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री गर्ग के उक्त अवकाश अवधि में श्री टी. के. वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 05 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-7/53/2004/1/2.—डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा. प्र. से., कलेक्टर, कोरिया, बैकुण्ठपुर को दिनांक 07-04-2008 से 26-04-2008 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 06 एवं 27 अप्रैल, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सिंह आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया, बैकुण्ठपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. सिंह के उक्त अवकाश अवधि में सुश्री जी. किण्डो, अपर कलेक्टर, कोरिया अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, कोरिया, बैकुण्ठपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2008

क्रमांक 369/190/2008/1-8/स्था.—श्री आर. सी. सूर्यवंशी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 23-2-2008 से 7-3-2008 तक 14 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. सूर्यवंशी को सहायक सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. सूर्यवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो सहायक सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2008

क्रमांक 3028/1124/21-ब/छ. ग./2008.—इस विभाग के आदेश क्र. /3363/1207/21-ब/छ. ग./2008/दि. 08-04-2008 के तहत राज्य शासन द्वारा दुर्ग जिले के डौण्डी लोहारा में श्री नारद राम यादव को 5 वर्ष के लिये नोटरी नियुक्त किया गया था. उक्त नोटरी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच विहित रूप से की गई और यह पाया गया कि उसके द्वारा क्षेत्र विशेष के लिये दिये गये प्रमाण-पत्र का उल्लंघन कर बगैर पर्याप्त कारण बालोद में नोटरी का व्यवसाय किया गया और इसलिए जांच उपरांत राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि श्री नारद राम यादव के पक्ष में ऐसी प्रकृति का वृत्तिक कदाचार स्थापित हो गया है जिससे कि वह नोटरी की तरह कार्य करने में अयोग्य है.

अत: उपरोक्त कारणों से नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (घ) के अन्तर्गत श्री नारद राम यादव, का नाम धारा 4 के अधीन रखे जाने वाले नोटरी रजिस्टर से एतद्द्वारा हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, अतिरिक्त सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ-2/33/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति को होटल प्रबंध, खानपान एवं तकनीकी पोषण आहार संस्थान, रायपुर के संचालक मण्डल का सदस्य नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 1-15/दो/आठ-परि./05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 1969 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम 11 के उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम (6) अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 20-03-2008 से 19-03-2009 की कालावधि के दौरान परिवहन उप निरीक्षक एवं परिवहन आरक्षक की सीधी भर्ती के मामले में महिलाओं के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत होगा."

Raipur, the 8th April 2008

No. F 1-15/Two/Eight-Trans./05. In exercise of the powers conferred by the proviso to Artical 309 of the Constitution of India, the State Government hereby makes the following further amendment to Chhattisgarh Transport Department Sub-ordinate (Class III executive) Service Recruitment Rules, 1969, namely :—

AMENDMENT

In the said rule :—

After Sub-rule (5) of rule 11, the following sub-rule (6) shall be inserted, namely :—

"Notwithstanding anything contained in Chhattisgarh Civil Seva (Mahilaon Ki Niyukti Hetu Vishesh Upbandha), Niyam, 1997, the reservation for women candidates in case of direct recruitment of Transport Sub-inspector and Transport Constable during the period of 20-03-2008 to 19-03-2009 shall be 10 percent."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ला, संयुक्त सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2008

क्रमांक एफ 5-58/दो/आठ-परि./08.—मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 88 की उपधारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 10 अगस्त 2007 के पृष्ठ क्रमांक 1144 से 1154 पर छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्य के मध्य पारस्परिक करार का प्रकाशन कर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये थे.

आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस नियत थी. नियत तिथि में कुछ आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए. आपत्तियों एवं सुझाव पर दिनांक 25-01-2008 को सुनवाई की गई.

सुनवाई पश्चात् प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (परिवहन) विभाग द्वारा विचारोपरान्त आदेश दिनांक 18-03-2008 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि मार्ग में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दोनों राज्यों के लिए निर्धारित परमिटों की संख्या में आम-जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया है, तथा पारस्परिक समझौते के अन्य कंडिका एवं शर्तें उपयुक्त एवं सही है, जिनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है. संशोधित परिशिष्ट "क" एवं "ख" में परमिटों की संख्या एवं संचालित कि. मी. आदेश का ही एक भाग होगा.

अत: मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 88 की उपधारा (6) (केन्द्रीय अधिनियम 59/1988) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड शासन द्वारा निष्पादित करार प्रकाशित करता है.

छत्तीसगढ़ सरकार एवं झारखण्ड सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार

यह करार दिनांक 08 दिसम्बर 2006 तद्नुसार संवत् 1928 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें आगे "छत्तीसगढ़ सरकार" कहा गया है, और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) प्रथम तथा झारखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे "झारखण्ड सरकार" कहा गया है, और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है.

चूंकि प्रदेश में त्वरित आर्थिक विकास तथा छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्य की समीपस्थता को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया है कि उक्त दोनों राज्यों के बीच यात्रियों और माल की लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाये, और उनके प्रचलन को विनियमित समन्वित और नियंत्रित किया जायें, इसलिए उक्त दोनों पक्ष परिस्थितियों एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक करार करने के लिए सहमत है.

अत: छत्तीसगढ़ सरकार एवं झारखण्ड सरकार में उल्लेखित निबन्धनों एवं शर्तों की अधीन यह पारस्परिक यातायात करार करते हैं :—

यह कि पारस्परिक परिवहन करार दोनों राज्यों द्वारा अपने राज्य में अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगा तथा उस समय तक विधिमान्य रहेगा. जब तक कि दोनों राज्यों के बीच पुन: एक नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाये, या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छै: मास की सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्डित नहीं [illegible] जायें.

1. **कराधान :—**
   (क) विभिन्न वर्गों के अनुज्ञा-पत्रों के प्रचालित विभिन्न प्रकार के यानों के संबंध में पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के करों का भुगतान संबंधित राज्य के कराधान अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा.

   (ख) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को जो अनन्यत: एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजन के लिये उपयोग किये जायें, पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में समस्त करों के संदाय से छूट प्राप्त होगी.

2. **करों के संदाय का ढंग :—**
   (क) . अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र या विशेष अनुज्ञा-पत्र को जारी

करने के पूर्व पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदत्त कर दिए गए हैं. यद्यपि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अग्रिम कर संदत्त नहीं किये जाने पर पारस्परिक राज्य, अपने राज्य की चेकपोस्ट पर कर की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा.

(ख) प्रत्येक डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा पारस्परिक राज्यों के करों का भुगतान किया जा चुका है, अस्थाई अनुज्ञा-पत्र/विशेष अनुज्ञा-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जायेगी.

(ग) समस्त अस्थाई अनुज्ञा-पत्रों तथा विशेष अनुज्ञा-पत्रों की प्रतियां एवं संबंधित डिमांड ड्राफ्ट और अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निदर्शन पत्र (प्रोफार्मा) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, को पारस्परिक राज्य द्वारा तुरंत भेजी जायेगी. दोनों राज्यों के डिमांड ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त (संबंधित राज्य) के नाम से बनाये जायेंगे.

अनु-क्रमांक	यान के स्वामी का नाम तथा पता	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक	सकल यान भार/यान की बैठक क्षमता	अनुज्ञा-पत्र की वैधता तारीख से	अनुज्ञा-पत्र की वैधता तारीख तक	बैंक ड्राफ्ट क्रमांक और रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को देय समस्त करों के डिमांड ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, के नाम पर जो रायपुर में देय हों, बनाये जायेंगे. इसी प्रकार झारखण्ड को देय समस्त करों की डिमांड ड्राफ्ट सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड रांची को देय होगा.

3. **मालयान स्थाई अनुज्ञा-पत्र :—**

(क) यह करार किया गया कि पारस्पारिक राज्य एक दूसरे के लिये 3000 की संख्या में मालयानों के स्थाई परमिट स्वीकृत कर सकेंगे, गृह राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर पारस्परिक करारकर्ता राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा तथा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियमों के अनुसार कर का संदाय किया जायेगा.

(ख) प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा-पत्रों के अधीन प्रचालित होने वाले मालयानों का उपयोग अनन्यत: पारस्परिक करारकर्ता राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच माल को चढ़ाने और उतारने के लिये नहीं किया जाएगा, अर्थात् ऐसे मामलों में यानों को अनन्यत: प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर माल के परिवहन का कोई भी कारोबार करने से प्रतिबंधित किया जाएगा, और वे ऐसी शर्तों के अधीन होंगे, जैसी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन संबंधित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे.

4. **अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये साधारण सहमति :—**मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) यह उपबंधित करती है, कि धारा 88 (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार की सहमति से साधारण या विशिष्ट अवसर के लिये धारा 87 के अंतर्गत अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकेगा जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा.

विधि के इस विशिष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के बीच यह करार किया गया कि दोनों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी इस करार के खण्ड 5, 7 तथा 8 के अनुसरण में आवश्यकतानुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना मालयान और संविदा गाड़ियों (ओमनी बसों और मोटर कैबों) के लिये अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (7) के अधीन साधारण सहमति दे सकेंगे. इस करार के प्रवृत्त होने पर या उससे पूर्व साधारण सहमति दी जा सकेगी, उसकी प्रतियां अभिलेख हेतु दोनों राज्यों द्वारा आदान-प्रदान की जायेगी.

5. **मालयान (अस्थाई) अनुज्ञा-पत्र :—**

(क) उपरोक्त खण्ड 4 के उपबंध के अधीन रहते हुए पारस्परिक राज्य द्वारा 30 दिन से अनधिक अवधि के लिये पारस्परिक राज्य के प्रतिबंधित मार्गों को छोड़ कर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 (1) तथा (2) के अंतर्गत मालयानों के लिये

अस्थाई अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जा सकेंगे, ऐसे स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा-पत्र पर पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं होगा.

(ख) ऐसे अस्थाई अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जायेंगे :—

(एक) पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णत: स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा, अर्थात् ऐसे यान अन्य पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यत: परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिये प्रतिबंधित रहेंगे.

(दो) प्रचालक ऐसी अन्य शर्तों का जो परमिट स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन अधिरोपित की जाती है, पालन करेगा.

6. **संविदा मोटर कैब के स्थाई अनुज्ञा-पत्र :—** दोनों राज्य सरकार के बीच यह सहमति हुई है कि संविदा वाहन मोटर कैब के लिये 200 स्थाई परमिट एक दूसरे राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे. इस प्रकार प्रतिहस्ताक्षरित परमिट से युक्त मोटर कैब को संबंधित राज्य के कर का भुगतान नियमानुसार करना होगा. मोटर कैब की बैठक क्षमता 6+1 से अधिक नहीं होगी.

7. **संविदा मोटर कैब के अस्थाई अनुज्ञा-पत्र :—** एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक राज्य में किसी मार्ग विशेष के लिये पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य के परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किये बिना संविदा वाहन मोटर कैब के लिए अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकेंगे. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों की विद्यमानता एक माह से अधिक की नहीं होगी. तथा ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र पर पारस्परिक राज्य के देय मोटरयान कर का भुगतान राज्य की सीमा में स्थित चेक पोस्ट पर किया जायेगा. ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र एक वापसी फेरा के लिए विधिमान होगें. तथापि यदि किसी कारण से एक राज्य द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र की वैधता अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में समाप्त होती है, तो ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय यान हो, आवश्यक फीस व करों का भुगतान करने के पश्चात् एक नया अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकेगा.

8. **संविदा वाहन (अस्थाई अनुज्ञा-पत्र) :—**

(क) उपरोक्त खण्ड 4 के उपबंध के अधीन, आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में विर्निदिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विर्निदिष्ट मार्गों के लिये उस राज्य में प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना संविदा वाहन (ओमनी बस) के लिये अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकेंगे.

(ख) ऐसें अस्थाई अनुज्ञापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

1. ऐसे अस्थाई अनुज्ञा-पत्र पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में 15 दिवस से अनाधिक कालावधि के लिये विधिमान्य होंगे.

2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जायेगा, और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जायेगा.

3. संविदा वाहन (ओमनी बस) एक ही पक्ष द्वारा किराये पर ली जायेगी, और एक वापसी यात्रा के लिये उपयोग की जायेगी.

(ग) ऐसे अस्थाई अनुज्ञा-पत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी. यदि किसी अस्थाई अनुज्ञा-पत्र पर संविदा वाहन को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञा-पत्र मंजूर करने के पश्चात् वापसी यात्रा की तारीख बदलवाना चाहता है, तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय संविदा वाहन हो इस बाबत लिखित रूप में अनुज्ञा प्राप्त करेगा.

9. **विशेष अनुज्ञा-पत्र :—** किसी भी राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अधीन जारी किये जाने वाले विशेष अनुज्ञा-पत्रों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा. ऐसे अनुज्ञा-पत्र पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य में 30 दिवस से अनधिक कालावधि के लिये विधिमान्य होंगे.

10. **लोकसेवा यान मंजिली यात्री बसों (स्टेज कैरिज का संचालन) :—**निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों पर दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार किया गया :—

(क) मंजिली गाड़ी के लिये अंतरप्रांतीय मार्गों का अर्थ होगा, प्रांतों में स्थित सीमांतों को वर्णित मध्य मार्गों से होते हुए जोड़ने वाला न्यूनतम दूरी का मार्ग, जब तक कि किसी मार्ग विशेष के लिये दोनों प्रांत अन्यथा सहमत न हों.

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य एवं झारखण्ड राज्य के बीच अंतरप्रांतीय मार्गों पर मंजिली गाड़ी के रूप में यात्री बसों का संचालन परिशिष्ट "क" एवं "ख" में उल्लेखित मार्गों पर, उल्लेखित फेरों अनुसार तथा उल्लेखित वाहनों से किया जायेगा.

(ग) अविभाजित मध्यप्रदेश एवं बिहार राज्य के समय स्वीकृत/जारी स्थायी परमिट जो छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् (छत्तीसगढ़-झारखण्ड एवं बिहार) तीनों राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग हो गए हैं. उन मार्गों पर बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच समझौता किया जाना है, चूंकि उक्त मार्गों का मध्य भाग झारखण्ड में पड़ता है. अत: बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच होने वाले समझौता पर झारखण्ड राज्य सहमति प्रदान करता है, एवं बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्य से निर्गत होने परमिटों पर झारखण्ड राज्य से प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा तथा परमिटधारी द्वारा झारखण्ड राज्य का समस्त मोटरयान कर नियमानुसार देय होगा.

(घ) इस करार के प्रयोजन के लिये कि फेरे से अभिप्रेत होगा एक एकल फेरा.

(ङ) कालांतर में यदि परिशिष्ट "क" एवं "ख" में उल्लेखित कि. मी. में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो दोनों राज्य परिवहन प्राधिकारी के बीच तत्परता से पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जायेगा, और इसे पारस्परिक करार के रूपांतर के रूप में नहीं समझा जायेगा.

(च) ऐसी मंजिली यात्री वाहन जो छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत है, तथा इस करार के अधीन झारखण्ड राज्य में संचालित है, झारखण्ड मोटरयान कराधान अधिनियम, 1994 के अंतर्गत मोटरयान कर का भुगतान करना आवश्यक होगा.

(छ) ऐसी मंजिली यात्री वाहन जो झारखण्ड राज्य में पंजीकृत है, तथा इस करार के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित होती है, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधान अनुसार मोटरयान कर का भुगतान करना आवश्यक होगा.

(ज) समय-सारणी का निर्धारण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, तथा प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी अपने राज्य की सीमा के भीतर समय-सारणी में परिवर्तन कर सकेंगे.

(झ) प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग के भाग के लिये लिया जाने वाला अधिकतम किराया संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार होगा. एक राज्य द्वारा यात्रियों को जारी किये गये टिकिट दूसरे राज्य में विधिमान्य होंगे.

(ञ) दोनों राज्य स्वयं के राज्य में पड़ने वाले भाग में वृद्धि, परिवर्तन अन्य राज्य की पूर्व अनुमति के बिना कर सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की वृद्धि/परिवर्तन की सूचना अन्य राज्य को दी जाएगी.

(ट) परिशिष्ट "क" एवं "ख" में उल्लेखित मार्गों पर जब तक राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा स्थाई परमिट स्वीकृत नहीं किए जाते हैं तब तक अस्थाई परमिट दोनों राज्यों द्वारा स्वीकृत/प्रतिस्ताक्षरित किए जाएंगे.

(ठ) अंतरप्रांतीय परिवहन में यान की रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता अनुसार ही परिवहन की अनुमति होगी. खड़े यात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

(ड) किसी भी राज्य के यात्री वाहन दो या दो से अधिक एकल फेरा करते समय रात्रि विश्राम अपने ही राज्य में करेंगे.

(ढ) पारस्परिक याता-यात समझौता के तहत चलने वाली प्रक्रम वाहनों की बैठान क्षमता चालक परिचालक को छोड़कर बैठन क्षमता 32 से कम नहीं होगी.

(ण) परिशिष्ट "क" एवं "ख" में उल्लेखित मार्गों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य मार्ग पर यात्री बस संचालन की आवश्यकता महसूस होती है, तो ऐसे मार्ग पर अस्थाई परमिट एक दूसरे राज्य पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकृत किये जा सकेंगे. ऐसे परमिट पारस्परिक करार के बाहर के परमिट कहलायेंगे और इन पर प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के कराधान अधिनियम के अनुसार मोटरयान कर देय होगा.

(त) प्रत्येक प्रतिहस्ताक्षरित राज्य अपने-अपने राज्य के अधिसूचित बस स्टैण्ड में सवारी (यात्री) उतारने एवं चढ़ाने की अनुमति देगा.

(थ) यदि मार्ग की दूरी 100 कि.मी. तक है तो किसी भी एक बस को निर्धारित फेरों के हिसाब से चार एकल फेरा एवं 250 कि. मी. तक मार्गों के लिए एक बस को दो एकल फेरा तथा 250 कि.मी. से ऊपर मार्ग के लिए एक बस को एक एकल फेरा परमिट प्रतिदिन की अनुज्ञा निर्गत किया जा सकेगा.

(द) वर्ष 1979, वर्ष 1988 तथा वर्ष 1996, जिसमें केवल वर्ष 1979, के समझौते को ही अंतिम रूप दिया गया था परन्तु वर्ष 1988 एवं वर्ष 1996 को अंतिम रूप नहीं दिया गया था लेकिन स्थायी परमिट स्वीकृत किये गये हैं. उसे मान्यता प्रदान करते हुए समझौते के अंतिम रूप होने तक परमिट के नवीनीकरण/प्रतिहस्ताक्षर दोनों राज्य यथावत् करते रहेंगे.

(ध) यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए यदि प्रक्रम वाहन मूल पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष से अधिक पुरानी है तो अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालन की अनुमति नहीं जाएगी.

(न) जिन मार्गों की दूरी 250 कि.मी. अथवा उससे अधिक (एक तरफ) है, उन मार्गों पर एक्सप्रेस सेवा संचालन हेतु परमिट जारी किया जा सकता है.

11. **कोरीडोर श्रेणी के मार्ग :**—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) में यह उपबंधित है कि कोरीडोर श्रेणी के मार्ग के लिए प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी.

यदि किसी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा कोरीडोर श्रेणी के अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जाते हैं तो अनुज्ञा-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा, कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (1) के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऐसे परमिटों पर अन्य राज्य के लिये देय कर का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा. कोरीडोर श्रेणी के मार्गों पर स्थाई/अस्थाई परमिट स्वीकृति हेतु पारस्परिक करार की आवश्यकता नहीं होगी.

12. **नियम :**—एक राज्य के दूसरे राज्य में चल रहे यान (चलाने की फीस और करों से संबंधित उपबंधों को छोड़कर) अपने संबंधित राज्य के नियमों से शासित होंगे.

13. **सामान्य :**—

(एक) पारस्परिक करारकर्त्ता राज्य इस करार के निबंधनों के अनुसरण में चल रहे यान के संबंध में कर, टोकनों, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों, परिचालक की अनुज्ञप्तियों, परिवहन यान प्राधिकार, बिल्ला (बैज), उपयुक्तता (फिटनेस) आदि के प्रमाण-पत्र को मान्यता देंगे.

(दो) यान का सकलभार पारस्परिक करारकर्त्ता राज्यों में अधिकतम अनुज्ञेय सकलयान भार से अधिक नहीं होगा, और अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय इस प्रकार की शर्त अधिरोपित की जा सकेगी.

(तीन) दोनों राज्यों द्वारा परमिट स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षर के अंतर्गत वाहनों का उपयोग परमिट की शर्तों के विरुद्ध वाहन का संचालन किया जाता है, तो जिस राज्य के क्षेत्राधिकार में वाहन चेक की जाती है, उस राज्य के प्राधिकार उस वाहन के विरुद्ध उसी भांति कार्यवाही कर सकेंगे, जैसे कि वह उनके गृह राज्य की वाहन है.

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों के प्रथम ऊपर लिखी तारीख को इस करार पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

परिशिष्ट "क"

पूर्व में सम्पन्न पारस्परिक समझौतों के मार्ग

क्रमांक	मार्ग का नाम	दूरी कि. मी. में छत्तीसगढ़	दूरी कि. मी. में झारखण्ड	कुल कि. मी.	अनुज्ञा-पत्रों की निर्धारित संख्या छत्तीसगढ़ राज्य के लिए	अनुज्ञा-पत्रों की निर्धारित संख्या झारखण्ड राज्य के लिए	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	जशपुर-गुमला व्हाया शंख	26	24	50	06	06	
2.	जशपुर-रांची व्हाया गुमला, बेड़ों	26	118	144	08	08	
3.	अम्बिकापुर-डाल्टेनगंज व्हाया रामानुजगंज	110	82	192	12	12	
4.	रांची-पत्थलगांव व्हाया बेड़ों, सिसई, गुमला, जशपुर, कुनकुरी.	139	118	257	06	06	
5.	रायगढ़-रांची व्हाया घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, जशपुर, गुमला, लोहरदगा, कुरू.	239	147	386	08	08	
6.	रांची-अम्बिकापुर व्हाया कुरू, लातेहार, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज.	110	246	356	06	06	
7.	अम्बिकापुर-गढ़वारोड व्हाया रामानुजगंज	110	46	156	08	03	
8.	रामानुजगंज-गढ़वारोड व्हाया भाया गोदरमना	01	46	47	10	06	
9.	रांची-बैकुंठपुर, व्हाया कुरू, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज, अम्बिकापुर.	188	208	396	06	06	
10.	जशपुर-डाल्टेनगंज व्हाया, गुमला, कुरू, लातेहार	26	204	230	06	10	
11.	बोकारो-अम्बिकापुर व्हाया रामगढ़, रांची	209	275	484	06	10	
12.	डाल्टेनगंज-कोरबा व्हाया रामानुजगंज, अम्बिकापुर, उदयपुर, कटघोरा.	300	82	382	10	06	
13.	रांची-चिरमिरी व्हाया कुरू, डाल्टेनगंज, अम्बिकापुर विश्रामपुर.	225	246	471	06	06	
14.	कुनकुरी-सिमडेगा व्हाया तपकरा, कुरडेग, किनकेल, सेवई.	60	102	162	06	10	
15.	कुनकुरी-सिमडेगा व्हाया जशपुर, गुमला, कोलेविरा	20	80	100	06	10	
16.	बोकारो-कोरबा व्हाया गोला, रामगढ़, रांची, बेड़ों, गुमला, पत्थलगांव, खरसिया.	336	245	581	06	06	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	जशपुर-महुआडांड व्हाया गुमला, घाघरा, नेतरहाट	26	85	111	06	10	
18.	विश्रामपुर-गढ़वारोड व्हाया अम्बिकापुर, रामानुजगंज	130	46	176	10	06	
19.	जशपुर-जैरागी व्हाया शंख, माझाटोली, पतराटोली, चैनपुर.	26	100	126	06	10	
20.	बोलवा-जशपुर व्हाया कोलेविरा, सिमडेगा, गुमला	26	134	160	06	14	
21.	धनबाद-अम्बिकापुर व्हाया तोपचाची, बगोदर, शेरघाटी, औरंगाबाद, डालटेनगंज, रामानुजगंज.	110	421	531	06	14	
22.	धनबाद-जशपुर व्हाया बोकारो, गोला, रामगढ़, रांची, गुमला.	26	300	326	06	10	
23.	देवघर-जशपुर व्हाया जशीडीह, मधुपुर, गिरीडीह, बगोदर, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, गुमला.	26	442	468	06	06	
24.	टाटानगर-जशपुर व्हाया चांडिल, रांची, लोहरदगा, गुमला.	26	280	306	06	10	
25.	गुमला-बगीचा व्हाया जशपुर, कुनकुरी	126	24	150	06	06	
26.	गुमला-बिलासपुर व्हाया जशपुर, पत्थलगांव, धर्मजयगढ़, खरसिया, जांजगीर.	380	24	404	06	06	
27.	गुमला-शक्ति व्हाया जशपुर, पत्थलगांव, खरसिया	225	24	249	06	06	
28.	गुमला-कोरबा व्हाया जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, खरसिया, शक्ति, चांपा.	344	24	368	06	06	
29.	लोहरदगा-अम्बिकापुर व्हाया कुरू, डालटेनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज.	110	207	317	06	06	
30.	लोहरदगा-बिलासपुर व्हाया गुमला, पत्थलगांव	380	76	456	06	06	
31.	चाईबासा-अम्बिकापुर व्हाया चक्रधरपुर, खूंटी, रांची, कुरू, डाल्टेनगंज, रामानुजगंज.	110	380	490	06	06	
32.	सरायकेला-जशपुर व्हाया टाटानगर, चाण्डिल, रांची, बेड़ो, गुमला.	26	290	316	06	10	
33.	टाटानगर-अम्बिकापुर व्हाया चांडिल, रांची, कुरू, डालटेनगंज, रामानुजगंज.	110	370	480	06	10	
	कुल योग	**4332**	**5496**	**9828**	**222**	**261**	

परिशिष्ट "ख"

नवीन मार्ग

क्रमांक	मार्ग का नाम	दूरी कि. मी. में			अनुज्ञा-पत्रों की निर्धारित संख्या		टिप्पणी
		छत्तीसगढ़	झारखण्ड	कुल कि. मी.	छत्तीसगढ़ राज्य के लिए	झारखण्ड राज्य के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रांची-रायपुर व्हाया बेड़ो, गुमला, जशपुर, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगढ़, सरायपाली.	452	118	570	06	06	
2.	खेलारी-अम्बिकापुर व्हाया बीजुपाड़ा, कुरू, चंदवा, डालटेनगंज, गढवा, रामानुजगंज.	110	230	340	06	06	
3.	खेलारी-अम्बिकापुर व्हाया कुरू, लोहरदगा, गुमला, जशपुर, पत्थलगांव, सीतापुर.	221	130	351	06	06	
4.	सिमडेगा-पत्थलगांव व्हाया, कोलेविरा, गुमला, जशपुर	136	102	238	06	06	
5.	रांची-बिलासपुर व्हाया बेड़ो, गुमला, जशपुर, पत्थलगांव धर्मजयगढ़, खरसिया, शक्ति, चांपा.	400	118	518	06	06	
6.	रांची-कोरबा व्हाया बेड़ो, गुमला, जशपुर, पत्थलगांव, खरसिया, शक्ति.	350	118	468	06	06	
7.	रांची-कुनकुरी व्हाया बेड़ो, सिसई, गुमला, जशपुर	70	118	188	06	06	
8.	सिमडेगा-रायगढ़ व्हाया गुमला, जशपुर, पत्थलगांव	236	118	354	06	06	
9.	रांची-बिलासपुर व्हाया डाल्टेनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज, अम्बिकापुर.	340	385	725	06	06	
10.	चिरमिरी-रांची व्हाया बैकुंठपुर, अम्बिकापुर, कुनकुरी, जशपुर, गुमला.	340	118	458	06	06	
11.	चतरा-कुनकुरी व्हाया, चंदवा, कुरू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा.	66	250	316	06	06	
12.	नेतरहाट-अम्बिकापुर व्हाया डालटेनगंज, गढ़वा, रामानुजगंज.	110	200	310	06	06	
13.	रजरप्पा-जशपुर व्हाया रायगढ़, रांची, बेड़ो, गुमला	26	185	211	06	06	
14.	भवनाथपुर-अम्बिकापुर व्हाया गढ़वा, रामानुजगंज	110	100	210	06	06	
15.	रांची-अम्बिकापुर व्हाया बेड़ो, गुमला, जशपुर, बगीचा	219	118	337	06	06	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	मनेन्द्रगढ़-डाल्टेनगंज व्हाया बैकुंठपुर, रामानुजगंज, गढ़वारोड स्टेशन.	240	82	322	10	10	
17.	रायगढ़-डाल्टेनगंज व्हाया धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गढ़वा.	305	82	387	10	10	
18.	रायगढ़-कांडी व्हाया पत्थलगांव, अंबिकापुर, रामानुजगंज गढ़वारोड स्टेशन, मझियार.	305	88	393	10	10	
19.	रामानुजगंज-डाल्टेनगंज व्हाया गोदरमना, रंका, गढ़वारोड स्टेशन.	01	82	83	08	10	
20.	सीपत-डाल्टेनगंज व्हाया बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर रामानुजगंज, गोदरमना, रंका, गढ़वारोड़ स्टेशन.	360	82	442	06	06	
21.	सीपत-डाल्टेनगंज व्हाया बलोदा, हरदीबाजार, कटघोरा, अंबिकापुर, रामानुजगंज, रंका, गढ़वारोड स्टेशन.	344	82	426	06	06	
22.	भवनाथपुर-रायपुर व्हाया नगरखार, गढ़वा, रामानुजगंज, अंबिकापुर, कटघोरा, बिलासपुर, नांदघाट, सिमगा.	460	110	570	06	06	
23.	डाल्टेनगंज-जशपुर नगर व्हाया महुआटांड, नेतरहाट, गुमला.	26	175	201	06	06	
24.	खूंटी-जशपुर नगर व्हाया रांची, गुमला, शंख	26	154	180	06	06	
25.	रामगढ़-जशपुरनगर व्हाया रांची, बेरो, गुमला	26	165	191	06	06	
26.	धनबाद जशपुरनगर व्हाया बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला.	26	325	351	06	06	
27.	लवाकेरा-रांची व्हाया कुरडेग, सिमडेगा, तोरपा, खूंटी	29	217	246	06	06	
28.	रांची-रायगढ़ व्हाया लोहरदगा, गुमला, जशपुरनगर, कुनकुरी, तपकरा.	249	118	367	06	06	
29.	रांची-अम्बिकापुर व्हाया लोहरदगा, घाघरा, नेतरहाट, महुआटांड, कुसमी, अंबिकापुर.	115	128	243	06	06	
30.	गुमला-कुसमी व्हाया चैनपुर, डुमरी, गोविन्दपुर, जशपुर नगर, मनोरा.	73	24	97	06	06	
31.	सिमडेगा-जशपुर नगर व्हाया कुरडेग, तपकरा, कुनकुरी	82	70	152	06	06	
32.	रांची-कुसमी व्हाया सिसई, गुमला, डुमरी, महुआटांड	60	128	188	06	06	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33.	गुमला-जशपुर नगर व्हाया चैनपुर, बिखमपुर, गोविन्दपुर	29	24	53	06	06	
34.	गुमला-लवाकेरा व्हाया शंख, लोदाम, जशपुर नगर, कुनकुरी, तपकरा.	118	24	142	06	06	
35.	लोहरदगा-अंबिकापुर व्हाया गुमला, जशपुर नगर, पत्थलगांव, सीतापुर.	216	48	264	06	06	
36.	गुमला-अंबिकापुर व्हाया जशपुर नगर, कुसमी	142	24	166	06	06	
37.	डाल्टेनगंज-अंबिकापुर व्हाया गढ़वा, गोदरमना	110	82	192	06	06	
38.	गुमला-पत्थलगांव व्हाया जशपुर नगर, कुनकुरी, कांसाबेल.	136	24	160	06	06	
39.	रायपुर-डाल्टेनगंज व्हाया सिमगा, नांदघाट, बिलासपुर, कटघोरा, अंबिकापुर, रामानुजगंज, गढ़वा, पलामू.	455	82	537	06	06	
	योग	**7119**	**4828**	**11947**	**248**	**250**	

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 1/08/भापुसे/2007.—राज्य शासन श्री विश्वरंजन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को खण्ड वर्ष 2006-2009 के अंतर्गत (भारत में किसी भी स्थान पर) सपरिवार आदिपुर, कच्छ (गुजरात) जाने के लिये दिनांक 10-04-2008 से दिनांक 24-04-2008 तक कुल 15 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए अवकाश यात्रा सुविधा (एल. टी. सी.) स्वीकृत करता है.

2. श्री विश्वरंजन, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री विश्वरंजन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वरंजन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ला, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2008

क्रमांक 669 A एफ 9-69/32/2005.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (3) के प्रावधानानुसार, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा धमतरी विकास योजना 2021 अधिनियम की धारा 18 (2) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है.

राज्य शासन एतद्द्वारा छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) तथा 19 (3) की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त अधिनियम की धारा 19 (1) के अधीन धमतरी विकास योजना 2021 को पूर्ण परीक्षण उपरान्त अनुमोदित करता है.

उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धमतरी विकास योजना 2021 को "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित किया जाता है. अनुमोदित धमतरी विकास योजना 2021 का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :—

1. कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ. ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, धमतरी (छ. ग.)
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय धमतरी (छ. ग.)

धमतरी विकास योजना 2021 छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 19 की उपधारा (5) के अनुसार छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तित होगी.

Raipur, the 3rd April 2008

No. 669 A F 9-69/32/2005.—As per the provision of the Section 18 (3) of C. G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, Director, Town and Country Planning, Chhattisgarh has submitted the Dhamtari Development Plan 2021 to the State Government for Approval under Section 18 (2) of the said Adhiniyam.

After giving full consideration and completing the action under the provision of Section 19 (2) & 19 (3) of the said Adhiniyam, the State Government, hereby, accords approval to Dhamtari Development Plan 2021 under the provision of Section 19 (1) of the said Adhiniyam. As per provision of the Section 19 (4) of the said Adhiniyam, it is being published in the "Chhattisgarh Rajpatra".

The copy of the approved Dhamtari Development Plan 2021 shall be available during office hours for inspection in the office of the :—

1. Collector, District-Dhamtari (C. G.)
2. Chief Municipal Officer, Municipal Council Dhamtari (C. G.)
3. Asstt. Director, Town and Country Planning, District Office Dhamtari (C. G.)

Dhamtari Development Plan 2021 shall come into operation from the date of publication of the said notification in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of Sub-section (5) of Section 19 of C. G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	अमलीटिकरा प. ह. नं. 2	0.072	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बांसजोर जलाशय योजना के मुख्य नहर चैन क्रमांक 0 से 30 हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बकालो प. ह. नं. 5	0.860	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग (सेतु निर्माण) रायगढ़.	खम्हार कापू मार्ग के कि. मी. 20/2 पर डोमनाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 मार्च 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	हाटी प. ह. नं. 25	3.765	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) रायगढ़.	धरमजयगढ़ कोरबा मार्ग सड़क निर्माण कार्य में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक/04/अ-82/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	झाल	6.61	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	साल्हेघोरी जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक/05/अ-82/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	बैजलपुर	01.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	उघरा माइनर में प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2008

क्रमांक/545/प्र-1/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	सिवनी प. ह. नं. 10	0.016	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	तांदुला नदी पुल एवं पहुंच मार्ग में भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 जनवरी 2008

क्रमांक 36/प्र. 1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-लिमतरा, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
79/80	0.53
229	
योग	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नंदौरी जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 मार्च 2008

क्रमांक 545/प्र-1/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-खरथुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
70	0.07
70/1	0.01
72	0.01
67	0.07
69/1	0.04
73	0.02
55	0.02
56	0.03
49	0.02
57	0.03
58	0.03
61	0.02
49	0.03
51	0.03
50	0.04
47/2	0.02
47/1	0.02
46	0.05
45	0.04
44/1	0.01
44/2	0.03
43	0.09
42	0.05
69/2	0.02
69/3	0.04
योग	0.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओरमा-भोथली-सुन्दरा पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक/13/अ-82/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-नवागढ़
(ग) नगर/ग्राम-घठोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.75 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
277	0.34
279/2	0.20
292	0.04
298/3	0.37
278	0.34
280/1	0.20
293	0.37
298/1	0.07
279/1	0.24
280/2	0.22
298/2	0.36
योग	2.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हैम्प व्यपवर्तन में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम दिनांक 24 मार्च 2008

रा. प्र. क्र. 8 अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
(ख) तहसील-पण्डरिया
(ग) नगर/ग्राम-रोहरा, प. ह. नं. 12
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.328 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8/1	0.134
8/4	0.073
7/2	0.093
7/3	0.069
29/1-2	0.077
32/4	0.069
30/2	0.081
60/1	0.085
61/1	0.016
61/2	0.016
62/1	0.045
62/2	0.028
62/3	0.032
109/4	0.049
110/3	0.049
189/5	0.040
189/8	0.061
111/2	0.061
114/1	0.130
114/2	0.036
137/2	0.016

(1)	(2)
137/3	0.089
137/1	0.097
138/3	0.045
138/4	0.032
139/1 ख	0.109
139/2	0.174
189/3	0.057
186/4	0.036
189/14 क	0.069
186/1	0.069
186/3	0.008
185/2	0.045
209/10	0.049
206/2	0.024
205/1	0.036
206/1	0.040
204/11	0.057
207/3	0.032
योग 39	2.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के माइनर नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.